



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1898 / 02 / प्रशा० / MSU / 2023-24

दिनांक : 01-02-24

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय . उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु संशोधित समय सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के संलग्न पत्र संख्या-196/सत्तर-2-2024-16(11)/2017 टी०सी०, दिनांक : 31.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई है।

उक्त संशोधित समय-सारणी(संलग्न) के अनुसार इच्छुक महाविद्यालय ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
02. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
03. जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
05. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


कुलसचिव

प्रेषक

शिपू गिरि
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2024

विषय-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्यद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3050/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से निर्धारित समय-सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 मार्च, 2024 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक.20 मार्च, 2024 तक।
6	निरिक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 30 मार्च तक।

		निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्वद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 18 मई, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्वद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 जून, 2024 तक।

3- शासनादेश दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,


(शिशु गिरि)

विशेष सचिव।

संख्या- 196(1)/सत्तर-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(शिशु गिरि)

विशेष सचिव।